

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था/भाग-2/537/2019/ 12187

भोपाल, दिनांक 25/5/19

प्रति,

- 1- समस्त संभागीय उपायुक्त,  
आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण,  
मध्यप्रदेश ।
- 2- समस्त सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश ।
- 3- समस्त जिला संयोजक,  
अनुसूचित जाति कल्याण,  
मध्यप्रदेश ।

**विषय:- अध्यापक संवर्ग वर्ग-1, 2 एवं 3 का नवीन संवर्ग में संविलियन बाबत ।**

विषयांकित अध्यापक संवर्ग वर्ग-1, 2 एवं 3 का नवीन संवर्ग में संविलियन हेतु प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन में निम्नानुसार कठिनाईयाँ परिलक्षित होनेकी जानकारी विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही हैं।

1. फिंगरप्रिंट केपचर न होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण न हो पाना ।।
2. मध्यप्रदेश विभाजन के पूर्व के छत्तीसगढ़ राज्य के तत्समय जारी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन तैयार न हो पाना ।
3. ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा पूर्व में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण सामान्य वर्ग में पंजीयन कराया गया था ।
4. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण होने के कारण इनकी पद संस्था एवं डी.डी.ओ. परिवर्तित होना ।
5. शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन हेतु एजुकेशन पोर्टल का एमप्लाय कोड की प्रविष्टि के उपरांत सभी फील्ड में अध्यापक द्वारा सीधे प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

उक्त के संबंध में आपके जिले में कितने ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक हैं की संख्यात्मक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल आई.डी. [shikshasthapna.ctd@mp.gov.in](mailto:shikshasthapna.ctd@mp.gov.in) पर उपलब्ध कराये ताकि उनका शीघ्रताशीघ्र मुख्यालय स्तर से निराकरण किया जा सके ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

25.05.19  
अपर संचालक,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश



निर्धारित प्रपत्र

क्र०	विवरण	प्रकरणों की संख्या			योग
		सहायक अध्यापक	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	
1	2	3	4	5	6
1	फिंगरप्रिंट केप्चर न होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण न हो पाना ।				
2	मध्यप्रदेश विभाजन के पूर्व के छत्तीसगढ़ राज्य के तत्समय जारी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन तैयार न हो पाना ।				
3	ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा पूर्व में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण सामान्य वर्ग में पंजीयन कराया गया था ।				
4	रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान शिक्षको के स्थानांतरण होने के कारण इनकी पद संस्था एवं डी.डी.ओ. परिवर्तित होना ।				
5	शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन हेतु ऐजुकेशन पोर्टल का एमप्लाय कोड की प्रविष्टि के उपरांत सभी फील्ड में अध्यापक द्वारा सीधे प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।				
6	अन्य				